ont>

14.10 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

Title: Need to evolve a policy of time-bound environmental clearances for hydro-electric power generation projects in the hilly areas of the country.

श्री महेश्वर सिंह (मंडी) : महोदय, इसमें दो राय नहीं हैं कि वर्तमान सरकार ने देश की आवश्यकता को देखते हुए विद्युत उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और इस वर्ा प्रधानमंत्री महोदय ने 50 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन की पहल का सूत्रपात किया है। जल विद्युत की 162 परियोजनाएं अधिकांश पहाड़ी प्रान्तों से सम्बन्धित हैं। इन परियोजनाओं के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा भारत सरकार का भू-संरक्षण अधिनियम, 1980 है। देखने में आया है कि इस प्रकार की परियोजनाओं में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय क्लियरेंस देने में वर्षों लगा देता है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि पर्यावरण क्लियरेंस के लिए कोई न कोई समय सीमा सुनिश्चित करनी चाहिए और कोई नीति निर्धारित करनी चाहिए ताकि परियोजना की स्वीकृति के साथ-साथ पर्यावरण क्लियरेंस भी साथ ही मिल जाये ताकि समय रहते ये परियोजनाएं पूर्ण हो सकें।